उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या-यू0ओ0-14/छः-पु0-9-2023

लखनऊः दिनांकः 14, फरवरी, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 5-क की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मण्डलायुक्त को उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 5-क के अधीन की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के संबंध में किसी समय अपना समाधान करने, किसी मामले का अभिलेख मंगाने तथा उसका परीक्षण करने और उस पर ऐसा कोई आदेश देने, जैसा कि वह उचित समझे, के लिये प्राधिकृत करती हैं।

पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग मण्डलायुक्तों के सम्बन्धित जिलों की सीमाओं के भीतर किया जायेगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 बी0डी0 पॉल्सन)

सचिव।

संख्या-यू0ओ0-14(1)/छः-पु0-9-2023 तद् दिनांक-

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग-4, खण्ड-'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच-पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

संख्या-यू0ओ0-14(2)/छः-पु0-9-2023, तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त पुलिस आयुक्त/समस्त जिला मजिस्ट्रेट/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-235/सा0-2/एस0ए0डब्लू0बी0(सेल)कोर्टकेस (8489/2022) दिनांक 08.02.2023 के क्रम में।

(5) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।

(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

E:\AKSingh/UO 7921